

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान की जमाबन्दी सम्बन्धी 2073, 2076 में खाता संख्या..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कालियरा	67, 69, 70, 71, 72, 73, 120, 212, 213, 214, 413	मुकेशसिंह पुत्र सानसिंह	मुकेशपालसिंह पुत्र सानसिंह

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर.....

क्रमांक :- 2026/86

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचना दी।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर.....